विकास आयुक्त का कार्यालय
(सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम)
सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
(भारत सरकार)
निर्माण भवन, सातवीं मंजिल, मौलाना आजाद रोड,
नई दिल्ली-110 108

OFFICE OF THE DEVELOPMENT COMMISSIONER
(MICRO, SMALL & MEDIUM ENTERPRISES)
MINISTRY OF MICRO, SMALL & MEDIUM ENTERPRISES
GOVERNMENT OF INDIA
Nirman Bhawan, 7th Floor, Maulana Azad Road,
New Delhi - 110 108

Ph.EPABX - 23063800, 23063802, 23063803 FAX - (91-11) 23062315, 23061726, 23061068, e-mail - dcmsmehq@nb.nic.in

सं. प्रशिक्षण/5(35)/2006-एसडी

दिनांक 10 मई, 2010

कार्यालय ज्ञापन

विषय: ग्यारहवीं योजना के दौरान संवर्धनात्मक सेवा संस्थान एवं कार्यक्रम के तहत "उद्यमिता विकास कार्यक्रमों (आईएमसी/ ईडीपी/ईएसडीपी/एमडीपी)" योजना को जारी रखा जाना।

भारत सरकार ग्यारहवीं योजना (2007-12) के दौरान प्रशिक्षण साधन उपलब्ध कराने संबंधी अतिरिक्त घटक के साथ "संवर्धनात्मक सेवा संस्थान एवं कार्यक्रम के तहत उद्यमिता विकास कार्यक्रमों (आईएमसी/ ईडीपी/ईएसडीपी/एमडीपी)" योजना को जारी रखे जाने संबंधी सहमति सहर्ष प्रेषित करती है। योजना की प्रति संलग्न है।

संलग्नक: यथोपरि

(डा. सुनीता छिब्बा)
अपर विकास आयुक्त (एमएसएमई)

सेवा में

1. सचिव (एमएसएमई), सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारें
2. आयुक्त एवं उद्योग निदेशक, सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारें
3. निदेशक, एमएसएमई विकास संस्थान/एमएसएमई परीक्षण केन्द्र

प्रतिलिपि

1. अतिरिक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, एमएसएमई मंत्रालय, उद्योग भवन, नई दिल्ली।
2. लेखा परीक्षा एवं नागरिक सेवा मंत्रालय निदेशक, एजीसीआर भवन, आई.पी.एस्टेट, नई दिल्ली।
3. मुख्य लेखा नियंत्रक, एमएसएमई मंत्रालय, उद्योग भवन, नई दिल्ली
4. वेतन एवं लेखा अधिकारी (एमएसएमई), नई दिल्ली, चेन्नई, मुम्बई, कोलकाता।
5. राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) एमएसएमई मंत्रालय के निजी सचिव, उद्योग भवन, नई दिल्ली।
6. सचिव के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव (एमएसएमई)।
7. अपर विकास आयुक्त एवं आर्थिक सलाहकार (एसएस)/आर्थिक सलाहकार (एमपीएस)/संयुक्त विकास आयुक्त (एचएसएम)/संयुक्त विकास आयुक्त (एबी)/ संयुक्त विकास आयुक्त (डीपी)/अ.आर्थिक सलाहकार (एनएन)।
8. विकास आयुक्त (एमएसएमई) का कार्यालय में सभी निदेशक/प्रभाग प्रमुख।
9. सं.स (पीके)/सं.स (एसकेपी)/ एमएसएमई मंत्रालय में उपसचिव तथा उनसे ऊपर- सभी अधिकारी।

(डा. सुनीता छिब्बा)
अपर विकास आयुक्त (एमएसएमई)

सं. 5(35)/2006 ईएण्डटी
भारत सरकार
विकास आयुक्त (एमएसएमई) कार्यालय
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम कार्यालय
निर्माण भवन, नई दिल्ली

"संवर्धनात्मक सेवा संस्थान एवं कार्यक्रम" के तहत "उद्यमिता विकास कार्यक्रमों (आईएमसी/ईडीपी/ईएसडीपी/एमडीपी)" योजना के दिशानिर्देश

क. प्रस्तावना

विगत पांच दशकों में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था के अत्यंत गतिशील एवं सक्रिय क्षेत्र के रूप में उभरा है। एमएसएमई न केवल बड़े उद्योगों के मुकाबले तुलनात्मक रूप से कम पूंजी लागत पर रोजगार के बड़े अवसर प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं वरन ग्रामीण एवं पिछले क्षेत्रों में औद्योगिकीकरण में भी मदद करते हैं और इस प्रकार राष्ट्रीय आय एवं सम्पदा का अधिकाधिक वितरण सुनिश्चित करते हुए प्रादेशिक असंतुलन कम करते हैं। एमएसएमई बड़े उद्योगों की अनुषंगी इकाइयों के रूप में उनके सहायक हैं और देश के सामाजिक आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण रूप से योगदान देते हैं।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) स्वरोजगार अवसर उत्पन्न करने तथा विद्यमान एवं संभावी उद्यमियों के संगत कौशलों का उन्नयन करने के उद्देश्य से देश में सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के विकास को बढ़ावा देते हैं। नए उद्यमों की स्थापना को बढ़ावा देने तथा नए उद्यम सृजित करने के उद्देश्य से एमएसएमई मंत्रालय विभिन्न योजनाएं और कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रहा है।

सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों विशेष रूप से प्रथम पीढ़ी के उद्यमियों के संवर्धन के लिए उद्यमिता विकास प्रमुख घटकों में से एक है। उद्यमिता एवं परिणामस्वरूप सृजित रोजगार एवं सम्पदा समन्वित विकास का एक मुख्य साधन है। अत: उद्यमिता विकास विश्वभर के देशों की प्राथमिकताओं में सदैव एक रहा है।

विकास आयुक्त (एमएसएमई) कार्यालय बड़ी संख्या में व्यावसायिक एवं उद्यमिता विकास कार्यक्रम संचालित करता है। जबकि व्यावसायिक प्रशिक्षण सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा कार्यान्वित किया जाता है, उद्यमिता विकास संबंधी उत्तरदायित्व मुख्य रूप से इस कार्यालय का दायित्व है। उद्यमिता विकास कार्यक्रम एमएसएमई-डीआई के माध्यम से संचालित किए जाते हैं जिसमें उद्यमिता विकास के साथ इलैक्ट्रॉनिक्स, इलैक्ट्रिकल, खाद्य प्रसंस्करण, आदि जैसे व्यापार संबंधी विशिष्ट कौशल, जो प्रशिक्षुओं को अपना निजी उद्यम आरंभ करने में सक्षम बनाते हैं, पर ध्यान दिया जाता है। यह कार्यक्रम निम्नोक्त को कवर करता है:-

1. औद्योगिक अभिप्रेरण अभियान (आईएमसी)
2. उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ईडीपी)
3. उद्यमिता कौशल विकास कार्यक्रम (ईएसडीपी)
4. प्रबंध विकास कार्यक्रम (एमडीपी)

ये कार्यक्रम अल्पावधि के हैं और इनका पाठ्यक्रम उद्योग की आवश्ययकता के आधार पर डिजाइन किया जाता है और यदि क्लाइंट द्वारा अपेक्षित हो, तो इन्हें विशेष रूप से तैयार किया जाता है। 2 और 6 सप्ताहों की अवधि के क्रमश: लक्षित ईडीपी और ईएसडीपी का 20 प्रतिशत विशिष्ट रूप से समाज के कमजोर वर्गों (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिलाओं/शारीरिक रूप से विकलांग) के लिए संचालित किया जाता है, जिस पर कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। इसके अतिरिक्त प्रति उम्मीदवार 125 रू. प्रति सप्ताह की छात्रवृत्ति भी प्रदान की जाती है।
यह योजना एक चालू योजना है और ग्यारहवीं योजना अवधि के लिए भी जारी रखी जा रही है।

ख. <u>योजना के तहत सहायता</u>

योजना के तहत कार्यक्रमों का विवरण तथा एमएसएमई-डीआई को प्रदान किए जाने वाली सहायता की मात्रा अनुच्छेद-च पर प्रस्तुत किया गया है।

उद्यमिता विकास कार्यक्रम की विषयवस्तु उत्पाद/प्रोसेस डिजाइन, शामिल विनिर्माण व्यवहार्यों, परीक्षण एवं गुणवत्ता नियंत्रण, उपयुक्त मशीनरी एवं उपकरणों का चयन एवं उपयोग, परियोजना प्रोफाईल तैयार करने, विपणन स्थल/तकनीकें, उत्पाद/सेवा मूल्य, निर्यात अवसर, उपलब्ध आधारभूत सरंचना सुविधाएं, वित्त एवं वित्तीय संस्थानों, नकद प्रवाह, आदि पर उपयोगी सूचना प्रदान करने के लिए तैयार की गई है।

ईएसडीपी के तहत संचालित पाठ्यक्रम मशीन शॉप प्रैक्टिस, हीट ट्रीटमेंट, इलैक्ट्रोप्लेटिंग, शीट मेटल, वेल्डिंग, टूल एंड डाई मेकिंग, ग्लास एवं सिरामिक, इण्डस्ट्रियल एवं आर्ट वेयर्स, हर्बल कॉस्मैटिक्स, फैशन गारमेंटस, होजरी, खाद्य एवं फल प्रसंस्करण उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी, हार्डवेयर मेनटेनेंस, साबुन और डिटरजेंट, चर्म उत्पाद/नोवेल्टीज, घरेलू विद्युत उपकरणों और इलैक्ट्रॉनिक गैजेट की सर्विसिंग, जेम कटिंग और पॉलिशिंग, इंजीनियरिंग प्लास्टिक, टूर ऑपरेटर, मोबाइल रिपेयरिंग, ब्यूटीशियन आदि में हैं।

एमडीपी के तहत संचालित पाठ्यक्रम औद्योगिक प्रबंधन, मानव संसाधन प्रबंधन, विपणन प्रबंधन, निर्यात प्रबंधन एवं प्रलेखन, सामग्री प्रबंधन, वित्त प्रबंधन, सूचना प्रौद्योगिकी एवं निर्यातों, आईएसओ 9000, डब्ल्यूटीओ, आईपीआर आदि में है।

योजना के तहत वार्षिक बजट के 5 प्रतिशत का उपयोग एमएसएमई-डीआई और इसके शाखा संस्थानों में प्रशिक्षण कार्यकलापों की गुणवत्ता को सुदृढ़ बनाने के लिए प्रशिक्षण साधनों, उपकरणों और अन्य संबंधित आधारभूत सरंचना उपलब्ध कराने के लिए किया जाएगा। प्रशिक्षण साधनों के तहत आबंटन एलसीडी प्रोजेक्टरों, व्हाइट बोर्डों, पी ए सिस्टम आदि जैसी वस्तुओं के लिए मांग आधारित होगा।

ग. उम्मीवारों के चयन की प्रक्रिया

उम्मीदवारों से आवेदन समाचार पत्रों तथा विकास आयुक्त (एमएसएमई) कार्यालय तथा साथ ही साथ एमएसएमई-डीआई की वेबसाइटों में विज्ञापन के माध्यम से आमंत्रित किए जाते हैं। एमएसएमई-डीआई में चयन समिति उम्मीदवारों की योग्यता, विगत अनुभव तथा पाठ्यक्रम की उपयोगिता पर विचार विमर्श करने के उपरांत उनका चयन करती है। उम्मीवार के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष है इसमें कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं है। प्रशिक्षण कार्यक्रम के विषय को ध्यान में रखते हुए विज्ञापन में विशेष कार्यक्रम के लिए सहभागी की योग्यता का उल्लेख किया जाता है। कमजोर वर्गों (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिलाएं/शारीरिक रूप से विकलांग) के उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाती है।

घ. योजना का कार्यान्वयन

यह योजना एमएसएमई-डीआई और शाखा एमएसएमई-डीआई के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है। योजना के कार्यान्वयन की प्रक्रिया निम्नोक्त रूप से होगी:

i) विकास आयुक्त (एमएसएमई) का कार्यालय द्वारा राज्य की कार्य करने की आयु वाली जनसंख्या तथा साथ ही साथ स्टॉफ संख्या एवं एमएसएमई-डीआई के पूर्व निष्पादन के आधार पर निर्णित मानकों के अनुसार एमएसएमई-डीआई को प्रत्येक वर्ष के आरंभ में योजना के तहत विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए अनंतिम लक्ष्य आबंटित किए जाएंगे। एमएसएमई-डीआई के निष्पादन, स्थानीय मांग आदि को ध्यान में रखते हुए लक्ष्यों को आगे संशोधित किया जा सकता है।

ii) एमएसएमई-डीआई के निदेशक एमएसएमई-डीआई के अधिकारियों और स्टेकहोल्डरों के साथ विचारविमर्श करके प्रत्येक प्रशिक्षण कार्यक्रम के संचालन के लिए विषय, स्थल और कार्यक्रम का निर्णय करेंगे।

iii) प्रत्येक एमएसएमई-डीआई के लिए वर्ष के आरंभ में निम्नोक्त प्रारूप में प्रत्येक एमएसएमई-डीआई की वेबसाइट में सम्पूर्ण प्रशिक्षण कैलेण्डर अपलोड किया जाएगा।

तिथि	प्रशिक्षण का कार्यक्रम/विषय	अवधि	लक्ष्य समूह	पात्रता मानदंड	पाठ्यक्रम शुल्क	स्थल (स्थान एवं जिला)	नोडल अधिकारी का नाम	संसाधन व्यक्ति का नाम

iv) एमएसएमई-डीआई के निदेशक प्रशिक्षण कार्यक्रम के संचालन के लिए नोडल अधिकारी के रूप में उपयुक्त संख्या में अधिकारियों को नामित करेंगे।

v) प्रत्येक नोडल अधिकारी को विषय अथवा स्थल के आधार पर समूहबद्ध प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संचालन के लिए लक्ष्य सौंपे जाएंगे। नोडल अधिकारी निदेशक के साथ विचारविमर्श करने के उपरांत कार्यक्रम के संचालन के लिए स्थल, लक्ष्य समूह और तिथियों की योजना बनाएगा।

vi) नोडल अधिकारी अपेक्षित एवं उपलब्ध विशेषज्ञता को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक कार्यक्रम के लिए उपयुक्त फैकल्टी/अतिथि वक्ताओं की पहचान भी करेगा।

vii) अतिथि वक्ता का अर्थ एमएसएमई-डीआई/एमएसएमई मंत्रालय के अधिकारियों के अलावा बाहर की फैकल्टी से है जो विशिष्ट विषयों पर विशेष ज्ञान रखते हैं। अतिथि फैकल्टी को ईडीपी/ईएसडीपी और आईएमसी के लिए डेढ़ घंटे के एक सेशन के लिए भाषण/प्रदर्शन देने के लिए 500/- रू. तथा एमडीपी के लिए 700/- रू. का मानदेय प्रदान किया जाएगा। किसी विशिष्ट अतिथि फैकल्टी को एक कार्यक्रम में दिए जाने वाले कुल भाषणों का 30 प्रतिशत से अधिक नहीं दिया जा सकता है। उद्घाटन/विदाई समारोह के लिए आमंत्रित फैकल्टी को मानदेय नहीं दिया जाएगा।

viii) सहभागियों को बाद के संदर्भ के लिए पाठ्य सामग्री प्रदान की जाएगी।

ix) छात्रवृत्ति वाले कार्यक्रमों के सहभागियों को छात्रवृत्ति: कुल लक्षित ईडीपी/ईएसडीपी का 20 प्रतिशत विशिष्ट रूप से समाज के कमजोर वर्गों अर्थात (अ.जा./अ.ज.जा./महिलाएं/शारीरिक रूप से विकलांग) के लिए प्रति उम्मीदवार प्रति सप्ताह 125/- रू. की छात्रवृत्ति के साथ आयोजित किया जाएगा। ये छात्रवृत्ति उन उम्मीदवारों को दी जाएगी जिनकी कम से कम 80 प्रतिशत उपस्थिति दर्ज की गई होगी और प्रमाणपत्र दिया गया हो। कुछ प्रशिक्षण दिवसों के दौरान अनुपस्थित रहने वाले, परन्तु अन्यथा पात्र उम्मीदवारों को यथानुपात छात्रवृत्ति दी जाएगी।

x) प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए अंतिम बिल कार्यक्रमों की समाप्ति के 15 दिनों के भीतर प्रस्तुत कर दिए जाने होंगे।

xi) प्रत्येक एमएसएमई-डीआई की वेबसाइट पर एक फीडबैक विंडो खोली जाएगी जहां प्रशिक्षण कार्यक्रम के सहभागी और अन्य स्टेकहोल्डर आयोजित किए गए प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर अपनी टिप्पणियां पोस्ट कर सकेंगे। निदेशक/नोडल अधिकारी प्राप्त फीडबैक के अनुवीक्षण के लिए और उस पर उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए उत्तरदायी होंगे। संस्थान के निदेशकों द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम की प्रगति रिपोर्ट के साथ ही प्रति माह प्राप्त फीडबैक पर एक कृत कार्रवाई रिपोर्ट मुख्यालय को अग्रेषित करनी होगी।

माह	लंबित फीडबैकों की सं. बी/एफ	माह के दौरान प्राप्त फीडबैकों की संख्या	निपटान किए जा चुके मामलों की संख्या	लंबित मामलों की संख्या

ङ निगरानी/मूल्यांकन

प्रशिक्षण कार्यक्रम की प्रगति की निगरानी मासिक आधार पर की जाएगी। प्रत्येक एमएसएमई-विकास संस्थान विकास आयुक्त (एमएसएमई) का कार्यालय में कौशल विकास कार्यक्रम के निदेशक/उप निदेशक प्रभारी को निर्धारित प्रारूप में मासिक प्रगति रिपोर्ट भेजेगा और वह प्रशिक्षण कार्यक्रमों की प्रगति/प्रभावकारिता की निगरानी/मूल्यांकन करेगा।

च. प्रशिक्षण कार्यक्रमों का ब्यौरा (आईएमसी, ईडीपी, ईएसडीपी और एमडीपी)

एमएसएमई-विकास संस्थान भावी उद्यमियों को उनके प्रौद्योगिकी/प्रबंधकीय ज्ञान तथा कौशल को बेहतर बनाने के लिए बहुत से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करते हैं ताकि उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में सूक्ष्म व लघु उद्यम स्थापित करने में मदद की जा सके। आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम हैं:

1. औद्योगिक अभिप्रेरणा अभियान (आईएमसी)
2. उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ईडीपी)
3. उद्यमिता कौशल विकास कार्यक्रम (ईएसडीपी)
4. प्रबंधन विकास कार्यक्रम (एमडीपी)

च.1. औद्योगिक अभिप्रेरणा अभियान

औद्योगिक अभिप्रेरणा अभियान सूक्ष्म व लघु उद्यमों की स्थापना की क्षमता वाले पारंपरिक/गैर-पारंपरिक उद्यमियों की पहचान और अभिप्रेरित करने के लिए आयोजित किए जाते हैं ताकि उन्हें स्व-रोजगार के लिए प्रेरित किया जा सके। कार्यक्रम की रूपरेखा निम्नलिखित है:

1. एजेंसी : ये कार्यक्रम एमएसएमई-विकास संस्थान द्वारा आयोजित किए जाते हैं।
2. अवधि: एक दिन
3. भरती की क्षमता: कोई सीमा नहीं
4. प्रशिक्षण शुल्क: कोई शुल्क नहीं
5. अधिकतम व्यय: 8,000 रुपये
6. भागीदारों की आयु: 18 वर्ष से ऊपर
7. पात्रता: संस्थान के निदेशक द्वारा निर्धारित
8. अतिथि वक्ताओं को मानदेय: डेढ़ घंटे के एक सत्र के लिए 500 रुपये

च.2. उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ईडीपी)

युवाओं को सूक्ष्म व लघु उद्यमों की स्थापना के लिए अपेक्षित औद्योगिक कार्यकलाप के विभिन्न पक्षों पर जागरूक करते हुए उनकी प्रतिभा को विकसित करने के लिए उद्यमिता

विकास कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। ये ईडीपी आम तौर पर आईटीआई, पॉलिटेक्निक और अन्य तकनीकी संस्थानों में आयोजित किए जाते हैं जहां स्व-रोजगार की ओर प्रोत्साहित किए जाने के लिए कौशल उपलब्ध होता है।

125 रुपये प्रति सप्ताह प्रति उम्मीदवार की छात्रवृत्ति के साथ समाज के कमजोर वर्गों (अर्थात अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिलाएं और शारीरिक विकलांग) के लिए विशेष रूप से ईडीपी के कुल लक्ष्यों का 20% आयोजित किया जाता है। इन कार्यक्रमों के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला और शारीरिक विकलांग उम्मीदवारों से कोई शुल्क नहीं लिया जाता है।

उद्यमिता विकास कार्यक्रमों के पाठ्यक्रम की विषयवस्तु को उत्पाद/प्रक्रिया डिजाइन, उसमें शामिल विनिर्माण व्यवहारों, परीक्षण और गुणवत्ता नियंत्रण, उपयुक्त मशीनरी तथा उपस्करों के प्रयोग, परियोजना प्रोफाइल तैयार करने, विपणन माध्यमों/तकनीकों, उत्पाद/सेवा मूल्य निर्धारण, निर्यात अवसरों, उपलब्ध अवसंरचनात्मक सुविधाओं, वित्त व वित्तीय संस्थानों, नकद प्रवाह, आदि पर उपयोग सूचना प्रदान करने के लिए तैयार किया जाता है। कार्यक्रम की रूपरेखा निम्नलिखित है:

1. एजेंसी : ये कार्यक्रम एमएसएमई-विकास संस्थान द्वारा आयोजित किए जाते हैं।
2. अवधि: दो सप्ताह
3. भरती की क्षमता: 20
4. प्रशिक्षण शुल्क: (1) सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए 100 रुपये
   (2) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए कोई शुल्क नहीं और महिलाओं व शारीरिक विकलांगों के लिए 50% शुल्क
5. अधिकतम व्यय: 20,000 रुपये
6. भागीदारों की आयु: 18 वर्ष से ऊपर
7. पात्रता: संस्थान के निदेशक द्वारा निर्धारित
8. अतिथि वक्ताओं को मानदेय: डेढ़ घंटे के एक सत्र के लिए 500 रुपये

च.3: उद्यमिता कौशल विकास कार्यक्रम (ईएसडीपी)

भावी उद्यमियों, विद्यमान कार्यशक्ति के कौशल को उन्नत करने और साथ ही सूक्ष्म व लघु उद्यमों के नए कर्मचारियों तथा तकनीशियनों के कौशल को विकसित करने के लिए, उनके कौशल उन्नयन हेतु प्रशिक्षण प्रदान करने और उन्हें उत्पादन के बेहतर तथा परिष्कृत प्रौद्योगिकीय कौशल प्रदान करने के मूलभूत उद्देश्य से विभिन्न तकनीकी सह कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन द्वारा विस्तृत प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। कम विकसित क्षेत्रों सहित राज्यों के विभिन्न क्षेत्रों में सामाजिक रूप से लाभवंचित समूहों (अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक तथा महिलाओं) के कौशल विकास के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इन कार्यक्रमों के लक्ष्य समूह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और अन्य कमजोर वर्ग होते हैं।

जिन विषयों में कोर्स संचालित किए जाते हैं, वे हैं, मशीन शॉप प्रैक्टिस, हीट ट्रीटमेंट, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, शीट मेटल, वेल्डिंग, टूल एंड डाई मेकिंग, ग्लास एंड सिरेमिक्स, औद्योगिक व कला सामग्री, हर्बल कॉस्टमेटिक, फैशन गारमेंट, होजरी, खाद्य व फल प्रसंस्करण उद्योग,

सूचना प्रौद्योगिकी, हार्डवेयर रखरखाव, साबुन व डिटर्जेंट, चमड़े के उत्पाद/वस्तुएं, घरेलू इलेक्ट्रिकल उपकरणों और इलेक्ट्रानिक वस्तुओं की सर्विसिंग, रत्न कटाई और पॉलिशिंग, इंजीनियरिंग प्लास्टिक, आदि।

कुल लक्षित ईएसडीपी का 20% समाज के कमजोर वर्गों (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिलाएं तथा शारीरिक विकलांग) के लिए विशिष्ट रूप से आयोजित किया जाता है। इन कार्यक्रमों के तहत उम्मीदवारों से कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। कार्यक्रम की रूपरेखा निम्नलिखित है:

1. एजेंसी : ये कार्यक्रम एमएसएमई-विकास संस्थान द्वारा आयोजित किए जाते हैं।
2. अवधि: छह सप्ताह
3. भरती की क्षमता: प्रत्येक कार्यक्रम में 20
4. अधिकतम व्यय: 60,000 रुपये
5. भागीदारों की आयु: 18 वर्ष से ऊपर
6. पात्रता: संस्थान के निदेशक द्वारा निर्धारित
7. अतिथि वक्ताओं को मानदेय: डेढ़ घंटे के एक सत्र के लिए 500 रुपये
8. प्रशिक्षण शुल्क: 1) सामान्य उम्मीदवारों के लिए 200 रुपये
   2) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए कोई शुल्क नहीं और महिलाओं तथा शारीरिक विकलांगों से 50% शुल्क

च.5. <u>प्रबंधन विकास कार्यक्रम (एमडीपी)</u>

प्रबंधन व्यवहार प्रणाली का प्रशिक्षण प्रदान करने का उद्देश्य उनकी निर्णयन क्षमताओं को बेहतर बनाना है ताकि विद्यमान व भावी उद्यमियों की उच्च उत्पादकता और लाभदायकता को प्रेरित किया जा सके और नए उद्यम विकसित हों। विशेषज्ञों द्वारा भागीदारों को प्रबंधन कार्यों के विभिन्न विषयों पर जानकारियां प्रदान की जाती हैं जिनका लक्ष्य वैज्ञानिक/आधुनिक प्रबंधन तकनीकों/व्यवहारों संबंधी ज्ञान का प्रसार होता है।

औद्योगिक प्रबंधन के विभिन्न क्षेत्रों पर प्रबंधन प्रशिक्षण कोर्स लघु उद्योगों के स्वामी-सह-प्रबंधक तथा पर्यवेक्षण स्तर के कर्मियों के लिए तैयार किए जाते हैं। क्षेत्र की मांगों और उद्योगों की स्थानीय आवश्यकताओं को देखते हुए इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों को तैयार किया जाता है। लक्ष्य समूहों की प्रकृति और उसका प्रोफाइल पाठ्य सामग्री को निर्धारित करता है ताकि उन्हें समकालीन प्रबंधकीय व्यवहारों के लिए उपयुक्त बनाया जा सके जिसे एमएसएमई कार्यकारियों द्वारा प्रबंधकीय कार्रवाई की वांछित क्षमता प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल किया जा सके। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के तहत शामिल विभिन्न विषय विभिन्न प्रबंधन कार्यों जैसे औद्योगिक प्रबंधन, मानव संसाधन प्रबंधन, विपणन प्रबंधन, निर्यात प्रबंधन तथा दस्तावेजीकरण, सामग्री प्रबंधन, वित्तीय प्रबंधन, सूचना प्रौद्योगिकी व निर्यात, आईएसओ 9000, डब्ल्यूटीओ, आईपीआर, आदि से संबंधित हैं।

1. एजेंसी : ये कार्यक्रम एमएसएमई-विकास संस्थान द्वारा आयोजित किए जाते हैं।
2. अवधि: एक सप्ताह पूर्णकालिक और दो सप्ताह अंशकालिक
3. भरती की क्षमता: 20
4. प्रशिक्षण शुल्क: (1) सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए 400 रुपये

(2) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए कोई शुल्क नहीं और महिलाओं व शारीरिक विकलांगों के लिए 50% शुल्क

(3) अंडमान व निकोबार, लक्षद्वीप, पूर्वोत्तर राज्यों, जम्मू व कश्मीर तथा सिक्किम के उम्मीदवारों के लिए 100 रुपये

5. अधिकतम व्यय: 20,000 रुपये
6. भागीदारों की आयु: 18 वर्ष से ऊपर
7. पात्रता: संस्थान के निदेशक द्वारा निर्धारित
8. अतिथि वक्ताओं को मानदेय: डेढ़ घंटे के एक सत्र के लिए 700 रुपये